सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

12/12/2017 वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली पेश हो दि. 12/12/2017 को पेश हो।
अजवाब

SDO सा. की आज्ञा से

12/12/2017 वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली पेश हो दिनांक 15/3/2018 को पेश हो।
जवाब

15.3.18	पत्रावली पेश हुई। वकील सावीहाजिर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन मौके पेश होने पर पत्रावली दिनांक 28.6.2018 को पेश हो।
4.5.18	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि वादी ने यह प्रा. पत्र अंतर्गत CPC आदेश 41 नियम 5 के तहत पेश किया हुआ है। CPC आ. 41 नि 5 के अनुसार अपील न्यायालय डिक्री के निष्पादन के रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतुक से दे सकेगा। प्रस्तुत प्रा. पत्र में जिस डिक्री (नामांतरण) का उल्लेख किया हुआ है, उस

नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की तामी जारी हुए	...ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		नामांतरण का निष्पादन (इंद्राज) राजस्व रिकार्ड में प्र.पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व में ही हो चुका है। अतः जिस नामांतरण का निष्पादन प्र.पत्र अंतर्गत CPC 041 R5 के प्रस्तुत करने के पूर्व में ही हो चुका हो, उसके निष्पादन को रोकने के लिए प्रस्तुत प्र.पत्र अंतर्गत CPC 041 R5 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना ~~है~~ उचित है। अपीलान्ट ने यह प्र.पत्र अंतर्गत CPC 041 R5 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पेश किया है। परन्तु CPC 041 R5 की प्लेन रीडिंग से स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत अपील न्यायालय सिर्फ डिक्री के निष्पादन को रोक सकता है। ~~कि~~ राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का अधिकार CPC 041 R5 के अंतर्गत इस न्यायालय को नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ताम... जारी हु...
	पारित डिक्री (नामांतरण) का निष्पादन भा.पत्र पेश करने से पूर्व मे ही हो चुका है। अतः भा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर मे कम हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)	